

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE:
I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.56 hrs.

REGIONAL RURAL BANKS BILL

THE MINISTER OF STATE IN CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): I beg to move*:

"That the Bill to provide for the incorporation, regulation and winding up of Regional Rural Banks with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

This Bill is intended to replace the Regional Rural Banks Ordinance, 1975. This Ordinance, as you are aware was promulgated on the 26th September 1975 in the context of the implementation of debt relief measures in the rural areas under the Twenty Point

Socio-Economic Programme to enable the Government to set up Regional Rural Banks in the country with a view to developing the rural economy by providing credit and other facilities for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities for the rural areas. These banks will also finance reorganised primary co-operative societies and farmers' service societies with universal membership.

The setting up of these banks in areas with adequate development potential but with inadequate institutional credit arrangements, acquired great urgency and seven Regional Rural Banks have been established so far, the first five banks having been established on 2nd October, 1975.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara). Seven or five?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE. Even today one is being established in Madhya Pradesh, and therefore it will be eight.

Subject to man-power constraints, the target is to establish 50 Regional Rural Banks before 1st April, 1977.

The reasons for issuing the Ordinance have already been explained in the Statement which has been laid on the Table of the House. So, I would not like to repeat them. Now at this stage I would not like to dwell upon the philosophy of Rural Bank and credit problems in the rural areas. I would like to confine myself to some of the important provisions of the Bill at this stage.

The important provisions of the Bill are:

(1) Each Regional Bank shall have an authorised capital of Rs. 1 crore and a paid-up capital of Rs. 25 lakhs. The share capital of each Regional Rural Bank is to be raised by the Government of India, the State Gov-

*Moved with the recommendation of the President.

ernment concerned and the bank sponsoring a Regional Rural Bank in the ratio of 50:15:35 respectively.

(ii) The Sponsor Banks are entrusted with the duty of aiding and assisting the Regional Rural Banks not only by subscribing to the share capital of the Bank, but in the recruitment and training of the personnel during the first five years of the functioning of the Regional Rural Bank. The Sponsor Banks will also provide managerial and financial assistance to the Regional Rural Bank.

(iii) The Regional Rural Bank will confine its activities within the notified area generally comprising one or more districts

(iv) The Regional Rural Banks will extend loans, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans, small entrepreneurs and persons of small means engaged in trade, commerce or industry or other productive activities in the rural area. They will also grant loans and advances to various types of co-operative societies including Farmers' Service Societies.

(v) The Board of Directors of a Regional Rural Bank shall consist of not more than nine directors

(vi) The Chairman of the Regional Rural Bank who will devote his whole time to the services of the bank will be appointed by the Central Government.

(vii) The remuneration of officers and employees of the Regional Rural Bank will be determined by the Central Government, having due regard to the salary structure of comparable level and status of officers and employees of the State Government.

(viii) After consultation with the Reserve Bank and the Sponsor Bank, the Central Government may make rules for carrying out the provisions of the Regional Rural Banks.

(ix) After consultation with the Sponsor Bank and the Reserve Bank, the Board of Directors of the Regional Rural Bank may, with the previous sanction of the Central Government, make regulations for the purpose of giving effect to the provisions of the Act.

17 hrs.

The deposits of the Regional Rural Banks will be covered by the provisions of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961.

Consequential amendments to the Reserve Bank of India Act, 1934, the Banking Regulation Act, 1949, the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 and the Banking Companies (Legal Practitioners' Clients'Accounts) Act, 1949 have been incorporated in the Bill

I would like to point out, before I conclude that it is necessary to enact a legislation for establishment of Regional Rural Banks so as to have an institution which would combine the advantages of the co-operatives and commercial banks to effectively serve the rural population especially small and marginal farmers, rural artisans and small entrepreneurs etc.

Sir with these words, I commend the Bill to the House

MR CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill to provide for the incorporation, regulation and winding up of Regional Rural Banks with a view to developing the rural economy by providing, for the purpose of development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in the rural areas, credit and other facilities, particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs, and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Some of us have tabled some amendments. They should be treated as admitted, so that we may get a chance tomorrow to move those amendments.

MR. CHAIRMAN: There is a motion for reference to a Select Committee by Shri Erasmo De Sequeira. Mr. Sequeira is not here. So, it is not moved.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Those amendments should be treated as moved so that we may get a chance tomorrow to move those amendments.

MR. CHAIRMAN: The discussion will take place. You can send your name.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, so far as the rural banks are concerned, they will help the rural poor. But, so far as I know, the number of banks which are going to be started is very small according to the requirements of the rural people. If you want that they should really be helpful to the rural people, you must take into account the 70 per cent population of the rural people, who are almost poor peasants or agricultural labourers, who require help, who are compelled to go to the Mahajans for their existence in their difficult time for their needs. If the Government is really going to help them, then it requires finance. Those families, as a whole, in India, will number a minimum of 6-7 crores. If you are to help them by giving at least Rs. 100 or Rs. 200 as loan per year for productive purpose, it will come Rs. 600—1200 crores per year. Then, the purpose of the Government will be really helpful to the poor people.

The question is, if you want to give loans to these persons and want to free them from the clutches of the mahajans, the money-landers or the

big traders, then you must create a condition so that these poor persons, maybe agricultural labourers, maybe poor peasants, will be able to utilise the money taken from the bank in a productive way have some surplus, help his family and give back the loan taken from the bank. In this way, the bank will be working properly, not getting liquidated. That condition must be created for the poor peasants and the agricultural labourers.

This requires that these poor peasants must have sufficient land, proper irrigation facilities, seeds and all that so that by utilising a small plot of land, he can produce sufficiently to maintain his family, to sell the surplus, make a profit and give back the loan taken from the bank. That condition must be created. That is the basic thing we must think of. How are you going to do that? Without having that in our mind, our efforts will go in a blind way and will not help these poor people.

Next comes the agricultural labour. If you cannot give them land, maybe Scheduled Caste or Scheduled Tribes or anybody you must guarantee the minimum wage to the agricultural labourer. You must guarantee work to him throughout the year or at least you must develop rural industries so that they can get employment in the rural areas during off time when no harvesting or sowing is going on. You must arrange the labour power to be utilised in developing irrigation and other things or some rural industries so that they can employ labour. Then only the agricultural labourer taking loan from the bank can help his family and the bank will be really helpful. Without this broad outlook in our country, the objective of rural Bank to help these poor people will not be fulfilled. I want that the Minister should have some such outlook so that it can really help the rural people.

For this, a radical land reform is required in the rural areas. The Agricultural tax Enquiry Committee Report or Ray Committee Report has already mentioned that 10 per cent of the families are controlling two-thirds of the rural produce. If that is the case, if you are going to help those 90 per cent rural families who are only getting only one-third of the rural produce, then that system must be changed and, for that, a radical reform is required.

You have better seeds and fertilisers and irrigation. Scientists are developing various methods of having sufficient produce from a limited area of land. There is the rotation of crops, etc. You can fully utilise the scientific achievements for the poor people to develop new village industries. And then, there are families who are holding and controlling vast amount of land without being able to utilise it, who become money-lenders at great profits. These must be removed from the village. Then only your rural banks will be helpful; otherwise these rural banks would be the dens of the money lenders. If you don't proceed in that way, it will work as a den for the money lenders: they will take money in the name of agricultural workers and poor peasants and utilise it themselves. I know that there are various parasites in West Bengal also where a land-owner having 30 or 20 acres of land for himself, is grabbing Government land in the name of a number of agricultural labourers. If a Government officer goes there, well, so many labourers are tilling the land, and they will make it appear before the Officer that the agricultural labourers are utilising it. But, really speaking, they are nominal.

The same thing happens in Cooperatives also. Co-operative loans are taken by 'Mahajans' and they utilise them in the villages in the name of the poor people. So, if you really want to help the poor and free them from the clutches of the 'Mahajans'

you must have a radical change in the system of village economy and make the economy of the poor peasants and agricultural labourers really productive. This is the main thing I wanted to draw attention to. I would like to know what the Minister thinks about changes in the village life—about the families of agricultural labourers, poor peasants and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. How are you going to create a new life in the village?

Next thing is that you must have representation of the village people—people elected by them somehow or other by some organisation—so that they can really give some idea about the real needs of the people. Officers won't be able to go deep into the life of the people because it is not so easy to go into the life of the village people. It is not easy for an officer from Delhi to realise and understand and also to by-pass the various conspiracies which the big money lenders are habituated to. You cannot see through them without representation of the rural people, without their elected representatives being there.

Another thing is that there was a suggestion from the Minister that the rural bank employees will be paid less and will not be as richly paid as the city bank employees; there must be poorly paid workers serving in the banks. But if you want commercial development of the rural areas, if you want expert bank employees working in the rural areas and develop commercial transactions successfully, then the bank employees must be experts. They must go from the towns with all their knowledge and capacity, leave their families here and remain in the village for a long period and understand the realities of healthy functioning of the banks. Without such experts, your rural banks cannot function. If you do not pay them the minimum that is required and if you, from the beginning, think that you will pay them as little as possible,

[Shri S. P. Bhattacharyya]

then it will not be good; it will not stand the test of the situation, and it will not function well. Therefore, you should see that the employees that you are going to employ are experts and they must be paid at least the minimum that is required, so that they can go into the villages with confidence and security and really help in the development of the rural banks.

With these words, I support the purpose of the Bill, and I think, the Minister will explain the various things that I have raised.

श्री नागू राम अहिरवार (टीकमगढ़)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूँ। क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा रही है। सरकार ने तमाम देश के देहात में फैले हुए गरीब मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों और छोटे कारीगरों को उनके ऋणों में मुक्त कर दिया है, जो कि अभी तक पूर्ण-पतियों और पैसा उधार देने वाले साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए थे। अब साहूकारों ने उनको कर्ज देना बन्द कर दिया है, इस-लिये अगर अब इन बैंकों की स्थापना नहीं होती है, तो उन लोगों की दशा बहुत शोचनीय हो जायेगी।

लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इन क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना में ही यह समस्या हल नहीं हो सकती है। यह क्षेत्रीय बैंक 2, 3 या 4 जिलों में या कमिश्नरी लैवल पर स्थापित किये जायेंगे। इस समय डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक, कर्मागियल बैंक या अन्य बैंकों की जो शाखाएँ हैं, वे आज किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योग करने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। आज भी उन लोगों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं ने यह नियम बनाया

हुआ है कि वे 10 मील की सीमा के भीतर ही किसानों को ऋण देंगी और उससे बाहर रहने वालों को ऋण नहीं मिलेगा। मेरे क्षेत्र में 10, 12 गांव ऐसे हैं जहाँ 80, 90 बिजली के पम्प लगने हैं। स्टेट बैंक की शाखा ने कहा है कि वह चार गांव के किसानों को ऋण देगी और बाकी के किसानों को बिजली का ऋण नहीं मिलेगा क्योंकि वे सीमा में नहीं आते हैं। इस स्थिति में वे किसान कहाँ जायें ?

मेरा सुझाव यह है कि क्षेत्रीय बैंक की स्थापना करने के साथ सरकार को हर गांव और ग्राम पंचायत लैवल पर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव के मजदूर, खेतिहर मजदूर, छोटे कारीगर, छोटा उद्योग-धंधा करने वाले और छोटे किसान को पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाये, अन्यथा सरकार का यह मंशा पूरा नहीं हो सकेगा कि उन गरीबों को ऋण की सुविधा दी जाये। आज जिस मजदूर या खेतिहर मजदूर के पास केवल रहने के लिये एक मकान है, जब वह बैंक में जाता है तो उससे पूछा जाता है कि उसका क्रेडिट क्या है, उसको सिक्योरिटी कौन देगा ? मेरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी दे क्योंकि आज कोई भी मकान या थोड़ी भी जमीन 500 रुपये से कम की नहीं होती है। इस बारे में सरकार को एक लिमिट मुकदर कर देनी चाहिये कि कितनी जमीन या मकान ऋण के लिये पर्याप्त समझे जाएँ और इसके अनुसार हरेक मजदूर और किसान को एक पास बुक दे दी जाये जिससे यह पता लगे कि उसका क्रेडिट 500 रुपये का है।

जो छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और सीमांतक किसान हैं उनकी समस्याएँ बहुत छोटी होती हैं, छः महीने के लिए वे ऋण लेते हैं साहूकार से और जब उनकी फसल आती है खरोफ की तो ऋण चुका देते हैं। इसी प्रकार से फिर ऋण लेते हैं और रही

की फसल आने पर साहूकार का ऋण चुका देते हैं। फिर आगे का खाता चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो साहूकार के जुगल से मुक्त हुआ है उसकी यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो उसके लिए कोई बाग नहीं है और वह बेचारा बेकार भटकना फिरेगा। इसलिए आप सहकारी समितियों और गांव के पोस्ट आफिस के माध्यम से उनके लिए ऋणों का आवस्था कराए। हर एक आदमी के पास उसकी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिये। अगर उसकी जमीन है तो जमीन की, मकान है तो मकान की या और कोई सम्पत्ति है तो उसकी क्रेडिट लिमिट होनी चाहिये। अगर नहीं है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से या सहकारी समिति के माध्यम से राज्य सरकार उसकी मिक्रोफिन्टी हो। उसकी लिमिट अगर पांच सौ रुपये हो और वह साल में सौ दो सौ रुपये लेना चाहता है तो वह ऋण उसको मिले पांच सौ में अधिक उसके न मिले लेकिन पांच सौ रुपये तक उसको ऋण मिलना रहे ताकि वह अपना ऋण लेता रहे और जमा करना रहे। अभी मैं गांव गया था जब हमारे यहाँ जमीन बंट रही थी। तब गांव के लोगों ने कहा कि सरकार ने यह जो किया है कि हरिजन या आदिवासी या छोटे किसानों का ऋण माफ कर दिया जाए जो उन्होंने साहूकारों से लिया है उसका नतीजा यह हो गया है कि अब वे हम को ऋण नहीं देते हैं और सरकार से भी नहीं मिलना है। एम। स्थिति में लोग भूखी मर रहे हैं क्योंकि जो कारीगरों का काम करते हैं या कोई छोटा धंधा करते हैं अगर उनको पूजा न मिले तो वे अपना धंधा कैसे करेंगे। पहले साहूकार से लेकर धंधा कर लेते थे और अपनी चीजें बच कर ऋण चुका देते थे। एम। सूरत में जब साहूकारों ने ऋण देना बन्द कर दिया और किसी भी गरीब आदमी को कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है और सरकार को इस बात के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर पहल

करनी चाहिये ताकि उनको ऋण मिल सके। राज्य सरकार उनकी मिक्रोफिन्टी दे और ग्राम लेवल पर जो सहकारी समितियाँ हैं या ग्राम सभा लेवल पर जो आपके ब्रांच पोस्ट आफिस हैं उनके माध्यम से सरकार उन के लिए ऋण की व्यवस्था करे। नहीं तो लोगों की जो जो आशाएँ इस बीम सूखी कार्यक्रम में बड़ी हैं कि हम को ऋण मिलेगा, हम अपनी खेती को उन्नति करेंगे, अपने उद्योग धंधे बढ़ायेंगे, वे आशाएँ पूरी नहीं होंगी और उनकी समस्या हल नहीं होगी। उनके सामने एक बहन बड़ा सकट आज आ गया है।

आज आप देखें स्टेट बैंक क्या करते हैं। जो छोटे कारीगर हैं लुगरी या चर्मकारी का काम करने वाले या जो बुनकर लोग हैं वे बैंक में कर्ज ले जाते हैं पैसा भी भुका कर देते हैं लेकिन बैंक में बकायादा यह है कि एक दफा कर्ज पट जाने के चार महीने बाद लोन नहीं देंगे। अब आप बताए कि चार महीने तक वह क्या खाएगा वह बेकार बैठ रहेगा क्योंकि उसके पास पूजा नहीं है। इसलिये कई हथकरघे या बिजली के कण्ठे जो लगाए गए थे उन को ऋण न मिलने की वजह से सब के सब बन्द पड़े हैं और वह भूखी मर रहे हैं क्यों कि उन को लोन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जो गरीब लोग हैं, सीमान्त किसान हैं या छोटे छोटे धंधे करने वाले कारीगर लोग हैं जब बैंक उन के भुने के लिए खोला जाना है तो वहाँ उन के सामने इस तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। जो बड़े बड़े किसान हैं वह बड़े बड़े बैंक से ऋण ले लेते हैं लेकिन छोटे छोटे किसानों को उस की सुविधा नहीं मिल पाती है।

मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूँ कि इन बैंकों के जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स

[श्री नाथू राम ग्रहिरावर]

हो उस में वही आदमी न हों जो साहूकारी करते हैं। गरीब लोगों का उस में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो सही माने में गरीबों का भला करे उन्हीं लोगों को उस में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करना हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो मैंने मुझाव दिए हैं सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करेगी और जो आकांक्षाएँ आपने ग्रामीण लोगों की जगाई हैं उनकी पूर्ति के लिए आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठावेंगे।

श्री रामसिंह भाई (इंदौर) मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम जनता के सामने आया, उसे सफल बनाने के उद्देश्य से ही शासन का यह एक बड़ा भारी कदम है। इस बिल में जो कुछ बताया गया है और जो मंत्री जी ने कहा उसको देखने हुए मैं यह मानता हूँ कि हम पर कोई टीका टिप्पणी करना एक प्रकार से बीस सूत्री कार्यक्रम का विरोध करने जैसा है। असला बात यह है कि जिस चीज की आवश्यकता है और वह देश में नहीं है उसकी शुरूआत की जा रही है तो उसका स्वागत करना चाहिये न कि उसका विरोध करना चाहिये। ग्रामीण बैंकों के बारे में यह भी कहा गया है कि इन में काम करने वाले कर्मचारी आदि शहरों से ही आने चाहियें। मेरा निवेदन है कि आप ट्रेनिंग क्लासिस ऐसी शुरू करें जो देहात के लोगों को ही ट्रेनिंग दे कर इस के लिए तैयार करें और वही बैंकों को चलाएँ। यह पहली बात होनी चाहिये हमें शहरों की भीड़भाड़ को रोकना है। देहात के लोगों को शहरों में धन में रोकना है और ग्रामीण लोगों को अपने पैर पर खड़ा करना है। जो उद्देश्य इस बिल में बनाए गए हैं उन में यह स्पष्ट कहा गया है। जो सामने स्पष्ट और

स्वच्छ दिखाई दे रहा है उस पर धुंधला और धूल फेंक कर उसको बूझला करने की कोशिश क्यों की जा रही है।

इस बिल से पालिमेंट के मेम्बरों और विधायकों को बहुत बड़ी ज़ाबतदेही बट जाती है। केवल कर्मचारियों और अधिकारियों को दोष देते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ऋण मुक्त हुए हैं जिन बंधन श्रमिकों को बंधन से मुक्त किया जाएगा उन लोगों की सहायता के लिए आप क्यों नहीं पहुँचते हैं। उनकी सहायता की मसिनिया बनाइये। उनकी मदद करने के लिये विधायक और समस्त सदस्य पहुँचें और उनको इन बैंकों का लाभ दिलाएँ। इसके बजाय आप पहले ही कहने हैं कि साहूकार ले जाएँगे, फला ले जाएँगे, यह तो गर्भ में आने के पहले ही आप नाम रखने लग गए। यह क्या काम आप कर रहे हैं कि चीज है नहीं और उसका आप नाम रख रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि आपने जो एक करोड़ रुपये की राशि रखी है यह बहुत कम है। इसका कारण यह है कि आप लेडलैम श्रमिकों को भूमि देने जा रहे हैं। जब उनके पास जमीन आएगी और माघन नहीं होगा तो उस भूमि का वे क्या करेंगे। बैंक की जोड़ी भी उनको चाहिये, खेती के साधन चाहिये, ज़रूरत हुई तो ट्यूबवेल भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि आप छोटे छोटे टुकड़े देने जा रहे हैं, पचास या पच्चीस एकड़ तो किसी को वे नहीं रहे हैं। पाँच सात एकड़ किसी को मिल गए तो उस में सिंचाई का साधन वह क्या लगाएँगा। तो जो यह 1 करोड़ की राशि प्रत्येक बैंक के लिए आप ने रखी है यह मेरे ख्याल से बहुत कम है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूँगा कि फाइनेल टिपार्टमेंट आप के पास है, एक काम इन बैंकों के साथ साथ आप वह और

करिए कि खाने वाले बजट में आइ टी आई के लिए ज्यादा अनुदान दीजिये और एक एक तहसील लेवेन पर प्राइ टी प्राइ काम कर के ग्रामीण लोगों को नालीम देने की व्यवस्था कीजिए जिस में वे लोहारी का काम, सोनारी का काम, चर्मकारी वगैरह का काम भीख सके। यह जो 20 सूची कार्यक्रम का उद्देश्य है बन्धक श्रमिकों को मुक्त कराना गरीब लोगों को ऋण से मुक्त कराना, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना और साथ साथ आप ने उम में यह भी रखा है कि ट्रेडलूम को प्रोत्साहन देना, यह पार्लियामेंट के मेम्बरों और विधायकों का काम है कि उस काम में वे आगे आएँ, जैसे जहाँ बुरा लोग है उन्हें इकट्ठा कर के उन की कोआपरेटिव सोसाइटी बनाए...

एक ग्रामीण सदस्य : आप ने कितनी बनाई है ?

श्री राम सिंह भाई : मैं ने बनाई है। मेरे साथ आये तो नाचेगे आप। मेरे साथ आइए मेरा काम तो देखिए। आपने कुछ देखा नहीं है। मेरे साथ मदान में आइये। बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। आप कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाये, उनके लिए सूत का इन्तजाम करे और उनके तैयार माल को बेचने का काम करे। खाली माल बजाने से या जवान हिलाने से कोई काम नहीं होता है। विरोधी दलों की बात तो यह है कि जबान हाथ भर की चरनी है लेकिन मगज हाथ नहीं चलता है। इसलिए जबान चलाने से ही काम नहीं चलेगा, जब आप हाथ, पैर, अस्तित्व से काम लेंगे तभी काम चलेगा।

दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड बनने जा रहा है उसमें बंजे हुए कर्मठ लोग होने चाहिये। आपका जो उद्देश्य है वह बहुत पवित्र है और वह यह है कि बीम सूची कार्यक्रम को सफल बनाया जाये। तो फिर यह आवश्यक

है कि ऐसे लोग जो बीम सूची कार्यक्रम में पूर्ण विश्वास रखने हों, जिनको गरीबों के प्रतिहमदर्दी हो उन्हीं लोगों को इस बोर्ड में डायरेक्टर रखिये।

मैं और अधिक कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इसमें नक्ता चानी करने की कोई गुंजायश ही नहीं है। एक पवित्र उद्देश्य के लिए पवित्र काम किया जा रहा है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को मुबारकवाद देता हूँ और चाहता हूँ उन बानों पर ज्यादा ध्यान दिया जाये जिनको मैं ने निवेदन किया है। आप अगले बजट में तहसील लेवल पर आई टी आई के लिये ज्यादा प्रावधान करे ताकि देशांत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मिले, देशान्तों में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धों का विकास हो और लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। वह लोग भाग भाग कर शहरों की ओर न जाये जिससे कि शहरों की भीड़ भाड़ भी कम हो। मैं बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : मंत्री जी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा है कि गांवों में कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए इस बिल की व्यवस्था की गई है और बीम सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बैंकों को खोलने की योजना बनाई गई है। अभी हमारे रामसिंह भाई बोल रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बीम सूची कार्यक्रम की माला जपने से काम नहीं हो जायेगा। हम सब इसको मानने वाले हैं, अकेले आप ही नहीं है। आप कोआपरेटिव सोसायटी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार किसी और विभाग में नहीं है। मैं अपने उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर कोआपरेटिव में करोड़ों रुपये का गबन है। भाइयों ने जानी सोसायटियाँ बना कर कर्ज ख.लिए जिनसे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिला। इन्हीं की तरह नेता लोग उसमें हैं जिनकी मदद के लिए पूरी सरकार

[श्री सरजू पांडे]

खड़ी हो जाती है। तो इस तरह का घटना-चार कोषापरिदेव में पैदा हुआ है। कोषापरिदेव को रजिस्टर कराना भी एक बड़ा भारी काम है। अगर ग्राम चाहें कि किसी कोषापरिदेव को रजिस्टर करवा लें तो बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे भानुम है। मैंने एक सोसायटी को रजिस्टर कराने की कोशिश की तो उसमें पूरा एक साल लग गया और बर्बर मेरी जानकारी के कोषापरिदेव विभाग से लोगों ने घूम भी ले लिए। ऐसी हालत में यह कहना कि सिर्फ विधायक या एम०पी० इस काम को कर लगे, वह मुमकिन नहीं है।

समानि जी, भारी सख्या में गांवों के लोग कर्जा लेने हैं। गांवों की बड़ा भारी आबादी कृषि पर निर्भर रहती है, जिनमें खेतिहर मजदूर, छोटे किसान और बुनकर लोग होते हैं। महाजनों ने बड़ा बड़ी लूट मचा रखी है। एक रुपए पर सवा करपा मूद लेने हैं। उनकी पूरी जायदाद और घर नीलाम करवा लेते हैं। उन्हीं लोगों का सुरक्षा के लिए यह बिल आया है—यह मंत्री जी ने कहा है लेकिन केवल 8 बैंकों की व्यवस्था पूरे देश में हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में 33 जिले पिछड़े हुए हैं जहां लोग भूख मरते हैं। उनको खाने के लिए महुआ भी नहीं मिलता है। उनको कर्जा मिलना नहीं है। अगर इसी हिमाय में बैंक खोले गए तो मैं समझता हूँ यह काम चालीस सूत्री कार्यक्रम में भी पूरा होने वाला नहीं है बीस सूत्री कार्यक्रम की बात ही छोड़ दीजिए। अगर हम योजना को मकूल बनाना है तो ग्राम बड़े पैमाने पर इन बैंकों की स्थापना कीजिए। अभी जो बैंक खुले हैं—जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे—उनकी कर्जा देने की लिमिट है और वह जायदाद की रजिस्ट्री कराते हैं। सरकारी आदेश यह है कि बैंक खुद ही उनकी जायदाद की रजिस्ट्री करले

लेकिन कोई बैंक रजिस्ट्री नहीं कराता है। अगर डेक्टर या पॉपुलर शेट के लिए कोई कर्जा लेता है तो रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के यहाँ करानी पड़ती है। अगर मैं चालीस हजार या बीस हजार कर्जा लेना चाहता हूँ तो तीस चार हजार जायदाद की रजिस्ट्री और बूख में देने पड़ते हैं। इसके लिए हमने कोई प्रोसीजर ले डायन नहीं है। किस तरह से कर्जा दिया जायेगा वह बैंको पर छोड़ दिया गया है। बैंक अपने 2 अलग प्रोसीजर बनाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। मैंने जोनपुर में देखा एक गांव में कर्जा दिया जा रहा था। वह कह रहे थे कि मैं गांव दि स्पाट कर्जा दिलवा रहा हूँ और रजिस्ट्री करवा रहा हूँ लेकिन कहीं और जगह यह देखने को नहीं मिलता है। कर्जों के लिए गारन्टी देना और जमानतदार माना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम ऐक्ट में यह प्रावधान देना चाहिए कि कर्जा दिया जायेगा लेकिन उस बात को बैंको पर छोड़ दिया गया है।

उपमे जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है उसमें दो केन्द्रीय सरकार के नामिनेटड है, दो तीन राज्य सरकारों के नामिनेटड होंगे और 15 मेम्बरो तक और मेन्ट्रल गवर्नमेन्ट नामिनेट करेगी लेकिन किम प्रकार के लोग लिये जायेंगे इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार तमाम मूदखोर और बदमाश लोग इन बैंकों में आ जायेंगे और जिस तरह से कोषापरिदेव बैंक में बड़े बड़े लोग कर्जा लेने हैं वही बात यहां पर भी हो जायेगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में गरीबों को रखा जाये और उनके चुनाव की व्यवस्था की जाये। कम से कम ग्राम यह नियम बनाये कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में कितने लोग एग्रीकल्चर के होंगे, कितने विमान होंगे, केवल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में ही सब कुछ न दे दीजिए जोकि शोषण करने वाले हैं। लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इन बैंकों में जो कर्मचारी काम करेंगे उनकी जो सुविधाएँ होंगी वह स्टेट गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों की तरह से होंगी। माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि कितने कर्मचारी गांवों में जाने के लिए तैयार होंगे? इसका मतलब यह होगा कि वही लोग जायेंगे जो बैंकों का काम नहीं जानते, नौकरी के लालच में वहाँ जायेंगे और वहाँ जाकर अप्रत्याचार करेंगे, बैंकों को लूटेंगे। मेरा सुझाव है कि आप अपने कर्मचारियों और इन बैंकों के कर्मचारियों की सुविधाओं में कोई फर्क न करें बल्कि इनको ज्यादा दें क्योंकि यह सोचना कि गांवों में रहने पर खर्चा कम होता है और शहरों में खर्चा ज्यादा होता है यह विचार गलत है। गांवों में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों की तालीम की व्यवस्था, दवा दारु की व्यवस्था करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गांवों में रहने के लिए जो कर्मचारी तैयार होंगे उनको अगर आप ठीक पैसा नहीं देंगे तो कोई वहाँ जाने को क्यों तैयार होगा? और जो जाएंगे वह गरीबों को लूटेंगे। वह अपनी फेमिली शहर में रखेंगे और खुद गांव में रहेंगे तो रोज़ भाग भाग कर शहर में आएंगे। ताजायज तरीके से पैसा जमा करने की काबिल करेंगे। इसलिए आप इस क्लॉज में अमेन्डमेंट कीजिए और अपनी व्यवस्था को बदलें।

तीसरी बात यह है कि बैंकों का जो कर्ज देने की व्यवस्था है उन में मोसाइटी भी शामिल है, इंडिविडुअल भी है, छोटे कार्पेनर, किसान मजदूर मछा के लिए व्यवस्था की गई है उस में ऐसा होता है कि मोसाइटी गलत तरीके से बना कर लोग पैसा ले लेते हैं, इंडिविडुअल का भी कर्ज देते हैं ता ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत लोगों को समझाबुझा कर उन से पैसा ले लेंगे और खा जाएंगे, फिर मुसीबत में डालेंगे। इसलिए इस हालत को बदलना पड़ेगा।

जहाँ तक जमीनों के बंटवारे की बात है मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात जानता हूँ कि टोटल झूठ कागज पर लिख दिया गया है। एक भी आदमी को जमीन नहीं मिल रही है। माफ़ कागजात में दिखा दिया कि जमीन बांट दी गई। लेकिन वह बिल्कुल झूठ है। एक भी आदमी को माँके पर कब्ज़ा नहीं मिला है। आज भी बड़े बड़े लोग उन जमीनों पर काबिज हैं। कोआपरेटिव्स की भी वही हालत है। रूयल बैंक में भी अगर इसी तरह लूट होल छोड़ देंगे तो वहाँ भी वही होगा जैसे कि आज बैंक वाले कर्जा देने में परेशान करते हैं। बड़े बड़े लोगों को कर्जा दिया जाता है। कितना भी चाहे बैंकों से वह रुपया ले सकते हैं। लेकिन छोटे आदमी को कर्जा देने से बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। उस को तरह तरह से परेशान करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस में दो तीन बातें हैं जिन का दूर किया जाय। एक तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में किसानों, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के लिए व्यवस्था की जाय और बिल का इस तरह से अमेन्ड किया जाय कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में वह पहुँच सकें बैंक कर्मचारियों की तनख्वाहों में कोई फर्क न कीजिये। तीसरी बात—इस बैंक को ज्यादा से ज्यादा गांवों में खोलने की कोशिश कीजिये और जल्दा में जल्दा खोलिये। यहाँ कई भाइयों ने सुझाव दिया है कि आज गांवों के अन्दर किसान को कर्जा नहीं मिल रहा है, छोटे-छोटे रोजगार बन्द है। हमारे पूरब में तो ऐसा मुमकिन है कि बेचारा गरीब आदमी कर्ज पर निर्भर करता है, माहूकार ने कर्जा देना बन्द कर दिया है, उन की जान मुसबत में पड़ी हुई है, बैंक से कर्जा मिलना नहीं है। इसलिये कम से कम उन हिस्सों में जो देश के पिछड़े हुए हिस्से हैं क्योंकि पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था का यह दोष है कि अमीर अमीर होता है और गरीब गरीब होता है, जो इलाके आगे बढ़े हुए हैं, वहीं पर सारे काम होते हैं—इसलिए पिछड़े

[श्री सरजू चांडे]

इलाकों में, जिन के आकड़े आप के पास मौजूद हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े इलाके हैं, जहाँ ज्यादा गरीबी है, जहाँ खेत मजदूरों पर आर्थिक भार ज्यादा है, उन इलाकों में बैंक खोलने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस बिल को इस तरह से बनाया जायगा ताकि ग्राम तौर से गरीब लोग इस में फायदा उठा सकेंगे।

SARDAR SWARAN SINGH SOKHI (Jamshedpur) Sir, I welcome this Bill which has been brought forward for developing the rural economy and to help small and marginal farmers, agricultural labourers and artisans. Since this is a bill for the Regional Rural Banks, I would like to know what will be the area covered by this region and whether the region would consist of one district of five or ten districts. It has not been clarified in this Bill. So, my suggestion would be that each region should have one district and not like Regional Commissioners having five or six districts under them.

Sir, this Bill will certainly help the poor farmers whose lands were grabbed by the moneylenders who used to charge a very high interest from them. Once a loan is taken by the poor farmer, he is unable to pay the loan to the moneylenders. So I would suggest that no corruption should be there in the banks because if a farmer goes to the bank for the loan or even if a labourer or small entrepreneur goes to the bank for the loan, he does not get the loan unless a bribe is given to the employee. In many cases, the bank staff takes 25 per cent or 50 per cent of the loan that has been sanctioned to them. Besides the

rate of interest charged on the loan should be very nominal. Nothing is mentioned about the rate of interest here. I say that it should be very nominal and not at the bank rate as the interest charged by the banks in some places is very very high.

Coming to the board of directors, I would suggest that of the three directors nominated by the State, two should be lady directors. Another thing is this. The staff of the regional rural banks should be employees from the same region. Only when suitable persons are not available, people from outside the region should be brought in.

Another thing that I would like to suggest is this. Fifty per cent of the staff in these banks should be women and there should be equal remuneration offered to women for equal work. This should also be implemented. Sir, the loans granted to artisans, farmers and agricultural labour should be granted very liberally but it should be seen that these loans are not used for some other purposes because if they spend this amount on marriages then they will not be able to return the loan.

Further, Sir, in case any property of a poor farmer is sold through litigation it should be first offered to the local people and not to the outsiders.

With these words I support this Bill.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगढ़) मोहतरिम चंद्रशेखर साहब, यह बिल हरल बैंको की बाबत हमारे मोहतरिम दोस्त ने पेश किया है, मैं इस को पुरखोर तारीफ करता हूँ। इसकी हिमायत में मैं बन्द झलकाव कहना चाहता हूँ—पहली बात तो यह है कि जब मैंने इस के एम्ब एण्ड प्रोजेक्ट्स

को पढ़ा तो वाकई मुझे इतमिनान हुआ कि जो हम इतने दिनों में नहीं कर पाये थे, अब हम इस डायनमिक लीडरशिप की बुनियाद पर कुछ करने के रास्ते पर चल रहे हैं।

जनाब चेयरमैन साहब, बैंको की बात जो यह बिल लाया गया है—सही मायनों में यह गांव के लोगों की खिदमत के लिये लाया गया है। इस के स्टेटमेंट आफ प्रॉपोज़िशन एण्ड रीजन्स से यह बात साफ तौर से बतला दी गई है कि यह बिल मदद करेगा

particularly to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs and for matters connected therewith and incidental thereto

लेकिन जब मैंने इस को गौर से देखा तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि इस में कुछ कमी है, इसलिये मैं कुछ सुझाव अपने लायक होस्त को देना चाहता हूँ और अगर वे मेरे सुझावों को मान लेंगे तो मुझे इतमिनान होगा कि अब गांव के लोगों की सही खिदमत हो सकती है, जो इस बिल की मन्शा भी है।

पहली बात तो यह है कि कलाख 3 सब-क्लाख 3 में रेक्यूमेंट एण्ड ट्रेनिंग की बात कही गई है। मेरी गुजारिश यह है कि इस में एग्रोकल्चरल प्रोजेक्ट्स का कहीं भी इन्वाल्वमेंट नहीं है, उन का इस के साथ इन्वाल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। यह मामला गांव से ताल्लुक रखता है, इसलिये आप चाहे जिस फाम में रखें, जो इम्प्लेमेंट करना चाहे कर, लेकिन उन का इन्वाल्वमेंट इस में जरूर होना चाहिये।

दूसरी बात—आप इस बैंक को गांव के लोगों के फायदे के लिये खोल रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों के इन्वाल्वमेंट का इस में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिये मेरी

गुजारिश है कि गांव के लोगों को इस लाइन पर ट्रेनिंग दें, सिखायें, ताकि वे लोगों के दिल की बात आप के बैंक डायरेक्टर्स के आगे रख सकें और इस से जनता को फायदा हो सके। इस लिये मैं प्रार्थना कर रहा था कि इन के एम्पाइन्टमेंट और रेक्यूमेंट, ट्रेनिंग आफ परसोनल के सिलसिले में इस बात पर ख़ास तौर से ध्यान दें। चूंकि आप ने इस में टाइम फॅक्टर रखा है—5 साल का, इस लिये मेरी गुजारिश है कि इस पर जरूर गौर करें।

हमारे यहां बैंको का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उस से तो मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई है। जिस मक़द के लिये राष्ट्रीयकरण किया गया था, वह बिल्कुल बेसिकली फ़ाट कर गया है, उस पर ठीक तौर से काम नहीं हो पाया है। मिसाल के तौर पर मेरी अपनी कांस्टीच्यूएन्सी में कुछ अनएम्पलाएड प्रोजेक्ट्स को सरकार की तरफ से मीडियम क्लास की दुकान का लाइसेंस लेकर दुकान कराने की जो बात कही गई थी, उस में रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि 8 किलोमीटर से बाहर के लोगों को लोन नहीं देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा गांव है जो शहर के नज़दीक है? अगर है भी तो वह जो शहर का ही एक हिस्सा माना जायगा। इसलिये इस 8 किलोमीटर की क़द को हटाइये क्योंकि इस से लोगों में नाउमिदी फैल गई है, और रूल्स में रिलेक्सेशन कीजिये। जिस बात को हम करना चाहते हैं वह रूल्स को बन्धन की बज़ह से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये उस बन्धन को आप हटाइये जिस से लोगों को फायदा हो।

जहां तक नौकरी मिलने का सवाल है आप नेशनलाइज्ड बैंक्स की ऐम्प्लायमेंट सिस्टम को देख लीजिये कि उस में कितने हरिजन, आदिवासी और माइनास्टीश के लोग हैं। एक परसेंट भी नहीं मिले। और

[श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान]

कितने लोग गांवों के हैं ? इसलिये मेरी सुझावित है कि जिस मकसद के लिये आप यह बिल लाये हैं उस को पूरा करें और जहाँ आप यह बैंक खोलना चाहते हैं वहाँ के लोगों को ही आप ट्रेनिंग दे, एम्प्लायमेंट दे, उन को बतायें कि सामाजिक जिम्मेगी कैसे बेहतर बनायी जा सकती है, बैंक से कैसे पैसा ले कर समाज को कैसे बेहतर बना सकते हैं ।

अब क्लॉज (9) देखिये भरमार है चेयरमन, डायरेक्टर बर्गरह की ।

Clause 9 . . . "not more than two directors, to be nominated by the concerned State Government, and (c) not more than three directors to be nominated by the Sponsor Bank."

लेकिन जिनके लिये आप ने मेमोरिण्डम में कहा है, एम्स और प्रोजेक्ट्स में कहा है, उन के एक भी रिप्रेजेंटेटिव का हवाला नहीं है । मेरी राय है कि माजिनल फार्मर्स का, स्माल फार्मर्स का, ऐग्रीकल्चर लैंडलेस लेबरर का, आर्टिजन का, स्माल एंटरप्रेन्योर का एक एक रिप्रेजेंटेटिव लीजिये । और जो जिला परिषद बन रही है, या जहाँ बन चुकी है, उस के चेयरमन को भी इसमें लीजिये क्योंकि वह गांव की ज्यादा जानकारी रखता है ।

जहाँ तक औरतों की बात है उन को कलरिफुल जायस में रखना चाहिये । जिस से गांव की औरत और बड़ बड़ कर सभाज का काम करेगी ।

इसी तरह से क्लॉज (11) में आपने कहा है:

"Clause 11—The Central Government shall appoint an individual to be the Chairman of a Regional Rural Bank and specify the period, not exceeding five years"

I suggest that it should be not more than three years, because in the preceding section you say this.

आप ने कहा है कि मेम्बरों की लाइफ दो साल रहेगी । और अगर आप ऐक्स्टेंशन देना चाहते हैं तो दो साल के लिये दे सकते हैं । लेकिन दो साल देने के बाद उन को नेक्स्ट टर्म नहीं देना चाहिये ।

इसी तरह से क्लॉज (12) के अन्दर आप ने कहा है :

"Clause 12. A person shall be disqualified for being appointed or, as the case may be, nominated as, and for being director, if he, (a) (b) . . . (c) . . . if charged with corruption. यह जोड़ दीजिए । क्योंकि भारत टर्पिट्यूड एक जनरल चीज है । अगर कोई डायरेक्टर या मेम्बर जिस के ऊपर कर्प्शन का चार्ज है तो he will be disqualified to be nominated as a Member or Chairman of the Board.

क्लॉज 17 में रीजनल करल बैंक के स्टाफ की बात कहा गया है, ठीक है जिस ढंग से अच्छा चले उस में मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन मेरी सुझावित है कि लोकल लोगों को नहीं भूलना चाहिये और उन को भी एम्प्लायमेंट देना चाहिये जिस से बैंक अच्छी तरह से चल सके ।

जैसा कि माननीय सदस्य सोखी जी ने कहा है कि रीजनल रूरल बैंक की जो डेफिनीशन होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी है। मेरी राय में आप ब्लाक को एक एक रीजन मानिये, हर ब्लाक की करीब लाख, सवा लाख की पीपुलेशन है, इसलिए दो तीन ब्लाक्स को शामिल कर के बनाइये, और जो बैंकबैंड एरियाज हैं जैसे नीर्य बिहार में पूर्णिया, मधुबनी और पूर्णिया में किशनगंज सब-डिवीजन में जरूर एक बैंक खोलिये।

जहां तक लोन का सवाल है, लोन देने का जो मकसद है उस को पूरा करने के लोन के रूल्स को आप रिलक्स करें और कम से कम बंधन लगाये जिस से आप का मकसद पूरा हो सके। यहां माननीय सदस्यों ने कहा है कि लेंडर्स लेबरर्स को जमीन बांटी गई है। तो बैंक को बड़ा फौन पहुंचना चाहिये ताकि उन को जल्दी पैसा मिल सके। नहीं तो जो भी जमीन आप ने दी है उस का मकसद हीं पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बैंक को उन भूमिहीन लोगों की मदद करनी चाहिये जिस से वह लोग मिली हुई जमीन से कुछ पैदा कर सकें। उन को कर्जा मुहैया कराने में आप के रूल्स और रैगुलेशन्स के बंधन में कमी आनी चाहिये, मतलब यह कि उन में रिलेक्सेशन किया जाना चाहिये।

बैंक ऐम्प्लॉईज की वे के बारे में आप ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछ कर दी जायगी। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ने मर्केंटिल सविसेज के बारे में कुछ नहीं कहा है। ग्रांटिजन्स या लेंडलेय लेबरर्स वगैरह जिन को आप लोन प्रोवाइड करते हैं उस का जो घाउट-मुट होगा उस की मार्-केटिंग का भी आप बन्दोबस्त करें। इस से बड़े फायदे होंगे। एक तो लोन की सेक्योरिटी हो जायगी और दूसरे प्राइस लाइन में गटेन रहेगी। इसलिये जो मकसद रूरल बैंक खोलने का है वह पूरा होगा।

इस बिल के आने से मनीलैंडर्स को बड़ा धक्का लगा है क्योंकि उन का कारोबार प्रैक्टिकली बन्द हो गया है। मनीलैंडर्स का रेट आफ इंटररेस्ट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन इधर भी कुछ कम नहीं है—18 परसेंट तक है। अगर आप गांव के लोगों को वाकई कर्ज दिलाना चाहते हैं तो इंटररेस्ट की दर में भी कमी करनी होगी।

इन अलफ्राड के साथ मैं इस बिल को तहेदिल से पुरखोर ताईद करता हूं। यह तवारीख का एक सुनहरा चेंपटर है जो हमारी लीडरशिप ने देश को दिया, इस से पहले कभी किसी ने ऐसा सौशलस्टिक बिल लाने की नहीं सोची। यह बिल अगर किसी ने लायी है तो हमारी सरकार ने लायी है।

[شری محمد جلیل الرحمن (کنن)]

گنجی: مستعزم چرمین صاحب، یہ بل دورل بلکوں کی بہت ضررے مستعزم دوست نے یہی کہا ہے۔ میں اسکی پرزور تائید کرتا ہوں۔ اسکی حمایت میں میں چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے اسکے ایمر ایڈز آپوئیٹنس کو پڑھا تو واقعی مجھے اطمینان ہوا کہ جو ہم اٹلہ دنوں میں نہیں کر پائے تھے اب ہم اس ڈائریکٹ لہڈر شپ کی بنیاد پر کچھ کرنے کے راستے پر چل رہے ہیں۔

جناب چرمین صاحب، بلکوں کی بہت جو یہ بل لایا گیا ہے۔

[شری مسعود جہیل (الرحمان)]

صحیح معنوں میں یہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کے لئے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آف ایجوکیشن ایڈز دی میں یہ بات صاف طور سے بتا دی گئی ہے کہ یہ بل مدد کریگا۔

Particularly to help the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans and small entrepreneurs and for matters connected therewith and incidental thereto.

لیکن جب میں نے اسکو فور سے دیکھا تو مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس میں کچھ کمی ہے، اس لئے میں کچھ سمجھاؤ اپنے لائق دوست کو دینا چاہتا ہوں اور وہ میرے سچاؤ کو مان لیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ اب گاؤں کے لوگوں کی صحیح خدمت ہو سکتی ہے جو اس بل کی ملنا بھی ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ کلاز 3 سب-کلاز (3) میں ریکورڈ مینٹ ایڈز ٹریڈنگ کی بابت کہا گیا ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس میں ایگریکچرل کریڈیٹ ایڈز کا کہیں بھی انوائسمنٹ نہیں ہے۔ اُنکا اسکے ساتھ انوائسمنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ معاملہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اس لئے آپ چاہے جس فارم میں رکھیں، جو اسٹریٹ مینٹ چاہیں کریں، لیکن اُنکا انوائسمنٹ اس میں ضرور ہونا چاہئے

دوسری بات: آپ اس بلک کو گاؤں کے لوگوں کے فائدے کے لئے کہوں وہ ہیں، لیکن گاؤں کے لوگوں کے انوائسمنٹ کا اس میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو اس لائن پر ٹریڈنگ دیں۔ سگھانوں، تاکہ وہ لوگوں کے دل کی بات آپ کے بلک ڈائریکٹرز کے آگے رکھ سکیں اور اس چلتا کو فائدہ ہو سکے۔ اس لئے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے تقرر اور ریکورڈ مینٹ، ٹریڈنگ آف پرسونل کے سلسلے میں اس بات پر خاص طور سے دھیان دیں۔ چونکہ آپ نے اس میں ٹائم فیکٹر رکھا ہے پانچ سال کا، اس لئے میری گزارش ہے کہ اس پر ضرور غور کریں۔

ہمارے یہاں بلکوں کا جو اشتہریہ کرن ہوا اس سے تو مجھے بڑی نا اہلی ہوئی ہے۔ جس مقصد کے لئے اشتہریہ کرن کیا گیا تھا وہ بالکل بلحاظی طور پر فوت کر گیا ہے اس پر تھک طور سے کام نہیں ہو پایا ہے۔ مثال کے طور پر میری اپنی کاسٹی ٹیو ایسٹی میں کچھ ان ایمنٹ کریڈیٹس کا سرکار کی طرف سے مقیم کلام کی دکان کا انسٹنس دے کر دوکان کرائے کی جو بات کہی گئی تھی اس میں ریستوریشن لگا دی گئی

ہے کہ آٹھ کلو میٹر سے باہر کے لوگوں کو قرضہ نہیں دیں گے۔ میں چاہتا تھا ہوں کہ کیا کوئی ایسا گاؤں ہے جو شہر کے نزدیک ہے؟ اگر ہے بھی تو وہ تو شہر کا ہی ایک حصہ مانا جائیگا۔ اس لئے اس آٹھ کلو میٹر کی قید کو ہٹانے کی ضرورت ہے اس سے لوگوں میں نا اہلی پن ختم ہو جائے گا۔ اور رولس میں وہاں کیسے کی جائے گی۔ جس بات کو ہم کونا چاہتے ہیں وہ رولس نے بندھن کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لئے اس بندھن کو آپ ہٹانے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔

جہاں تک نوکری ملنے کا سوال ہے آپ تھانہ کی بلکس کی ایجنسیوں کی لسٹ کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنے ہریجن، آدی واسی اور ملہارویز کے لوگ ہیں۔ ایک پرسیسٹ بھی نہیں ملے گا۔ اور کتنے لوگ گاؤں کے ہیں؟ اس لئے میں کہتا ہوں کہ جس مقصد کے لئے آپ یہ بل لائے ہیں اسکو پورا کریں۔ اور جہاں آپ یہ بلک کھولنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ہی آپ تریفلنگ دیں، ایجنسیوں کی ایجنسیوں کو بتائیں کہ ساجک زندگی کسے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ بلک سے کسے پوسہ لے کر ساج کو کسے بہتر بنا سکتے ہیں۔

اب کلز (9) دیکھئے پھر سارے چھ ممبر، ڈائریکٹر وغیرہ کی۔

Clause 9 . "not more than two directors, to be nominated by the concerned State Government and (c) not more than three directors to be nominated by the sponsor Bank."

لیکن جن کے لئے آپ نے منظورند میں کہا ہے، ایمر اور آبجیکٹس میں کہا ہے، ان کے ایک بھی ریپریزنٹو کا حوالہ نہیں ہے۔ مہدی رائے ہے کہ مارچل فارمرز کا، سال فارمرز کا، ایگریکلچرل لیفٹ لیس لہبرز کا، آرٹھوز کا، سال ایگریکچرل لہبرز کا ایک ایک نمائندہ لیجئے۔ اور جو ضلع میں رہتی ہے جہاں جن چکی ہے لیجئے چھ ممبروں کو بھی اس میں لیجئے کہونکہ وہ گاؤں کی زیادہ جانکاری رکھتا ہے۔

جہاں تک عورتوں کی بات ہے ان کو کلریکل جابس میں رکھنا چاہئے۔ جس سے گاؤں کی عورتوں پر بڑھ چڑھ کر ساج کا کام کر سکیں۔

اسی طرح سے کلز (11) میں آپ نے کہا ہے :

"Clause 11—The Central Government shall appoint an individual to be the Chairman of a Regional Rural Bank and specify the period, not exceeding five years"

I suggest that it should be not more than three years, because in the preceding section you say this.

[شری مسعود جمیل (رحمان)]
آپ نے کہا ہے کہ سمیٹرز کی
لائف دو سال رہے گی۔ اور اگر
آپ ایکسٹنشن دینا چاہتے ہیں تو
دو سال کے لئے دے سکتے ہیں۔
لیکن دو سال دینے کے بعد ان کو
نہکست ٹرم نہیں دینا چاہئے۔

اسی طرح سے کلاز (12) کے اندر
آپ نے کہا ہے :

"Clause 12.—A person shall be dis-
qualified for being appointed or, as
the case may be, nominated as, and
for being director, if he, (a).... (b)
.... (c).....if charged with cor-
ruption."

یہ جوڑ دیکھئے۔ کورنر مارل
ٹریمپٹورٹ ایک جنرل چوڑ ہے۔
اگر کوئی ڈائریکٹر یا سمیٹر جس کے
اوپر کریمن کا چارج ہے تو

he will be disqualified to be nominat-
ed as a member or Chairman of the
Board.

کلاز 17 میں ریجنل روول بینکس
کے سٹاف کی بابت کہا گیا ہے،
تھیک ہے، جس ڈیپٹ کے اچھا
چل سکے اس میں مجھے کوئی
اعتراض نہیں ہے۔ لیکن مہری گزار
ہے کہ لوکل لوگوں کو نہیں بھولنا
چاہئے اور ان کو بھی ایمپلائمنٹ
دینا چاہئے جس سے بینک اچھی
طرح سے چل سکے۔

جیسا کہ مائیک سڈیہ سوکھی
جی نے کہا ہے کہ ریجنل روول بینک
کی جو قیادتیں ہونی چاہئے وہی

وہ نہیں ہو پائی ہے۔ مہری دئے
میں آپ بینک کو ایک ایک ریجنل
مائیکس، ہر بینک کی پریس لکھ
سوا لکھ کی آہائی ہے، اسلئے دو
تھیں بلیکس کو شامل کر کے بنائے
اور جو بدکردار لیڈرز ہیں جسے
فلوٹو بہار میں پوربھ، مڈھولی
اور پوربھ میں کشی کلچ سب ڈویژن
میں سمیٹرز ایک بینک کھولئے۔

جہانگیر قریب کا سوال ہے، قریب
دینے کا جو مقصد ہے اسکو پورا کرنے
میں قریب کے رولز کو آپ ریجنل
کوئس اور کم سے کم بلدیوں لکھیں جس
سے آپ کا مقصد پورا ہو سکے۔ یہاں
مائیک سڈیہ نے کہا ہے کہ لیڈ
لنس لیڈرز کو زمین ہاتھی گئی ہے۔
تو بینک کو یہاں فوراً پہنچنا چاہئے
تاکہ انکو جلدی پیسہ مل سکے۔ نہیں
تو جو بھی زمین آپ نے دی ہے اسکا
مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ اسلئے
مہری گزار ہے کہ بینک کو ان بھوسے
میں لوگوں کی مدد کرنی چاہئے
جس سے وہ لوگ ملی ہوئی زمین
سے کچھ پیدا کر سکیں۔ ان کو قریب
میں کوانے میں آئیے رولز اور ڈیگولڈ
کے بلدیوں میں کسی آئی چاہئے۔
مطلب یہ کہ ان میں ریجنل سمیٹ
کہا جانا چاہئے۔

بینک ایمپلائز کی تقاضا کے بارے
میں آپ نے کہا ہے کہ سڈیہ گورنمنٹ

سے بوجھ کر دی جائیگی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے مارکیٹنگ سرسز کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ آرٹی زن یا لینڈ لیس لیمٹرز وغیرہ جملہ آپ قرضہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کا جو آرٹ پٹ ہوگا اُسکی مارکیٹنگ کا بھی آپ بلنڈریسٹ کریں۔ اس سے دو فائدے ہونگے۔ ایک تو قرضے کی سیکوریتی ہو جائیگی اور دوسرے پرائس لیٹن مینٹین رہے گی۔ اسلئے جو مقصد روپل بلیکس کھولنے کا ہے وہ پورا ہوگا۔

اس بل کے آنے سے ملی لینڈرز کو برا دھکا لگا ہے کہونکہ اُن کا کاروبار پریگٹھیلی بلڈ ہو گیا ہے۔ ملی لینڈرز کا ریٹ آف انٹریسٹ بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن ادھو بھی کچھ کم نہیں

ہے 18 پرسینٹ تک ہے۔ اگر آپ ٹیوں کے لوہوں کو واقعی قرض دلانا چاہتے ہیں تو انٹریسٹ کی در میں کمی کرنی ہوگی۔

ان الفاظ کے ساتھ میں اس بل کا تہہ دل سے پر زور ڈالید کرتا ہوں۔ یہ تواریح کا ایک سلہرا چھپتا ہے۔ جو ہماری لیمڈرشپ نے دیہی کو دیا۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسا شوشلسٹک بل لانے کی نہیں سوچی۔ یہ بل اگر کسی نے لائی ہے تو ہماری سرکار نے لائی ہے۔

MR CHAIRMAN Now the House stands adjourned to meet at 11 O'clock tomorrow

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, January 21, 1976 Magha 1, 1897 (Saka)